

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कामकाज को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

कार्मिक का विवरण:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	श्री राजेन्द्र पाल सिंह बराड़, अध्यापक तृतीय श्रेणी	राबाउमावि संगतपुरा, श्रीगंगानगर	20.01.1968	कनाडा- 09.12.19 से 26.12.19 तक (18 दिवस)
2	श्री बलवोर महला, शारीरिक शिक्षक	रामावि नृसिंहपुरा, गोविन्दगढ़ (जयपुर)	01.07.1969	दुबई(यू.ए.ई)- 10.12.19 से 12.12.19 तक (03 दिवस)
3	श्रीमती सुशीला बिरमाण, अध्यापक लेवल-2	राबामावि काजड़ा, जिला- झुंझुनू	24.07.1960	बैंकॉक (थाईलैण्ड)- 25.11.19 से 30.11.19 तक (06 दिवस)
4	श्री श्याम सुन्दर टेलर, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक	राउमावि दातारामगढ़, जिला-सीकर	05.05.1971	दुबई(यू.ए.ई)- 25.12.19 से 02.01.20 तक (09 दिवस)
5	श्री राजकुमार महला, वरिष्ठ अध्यापक(विज्ञान)	राउमावि रसीदपुरा खूडी जिला-सीकर	20.07.1960	दुबई(यू.ए.ई)- 10.12.19 से 12.12.19 तक (03 दिवस)
6	श्रीमती सम्पति, वरिष्ठ अध्यापक(संस्कृत)	शहीद महेश कुमार राउमावि भैरुपुरा(सीकर)	15.08.1979	दुबई(यू.ए.ई)- 09.12.19 से 14.12.19 तक (06 दिवस)

शर्त:-

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक झार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
 - (i) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - (ii) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - (iii) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - (iv) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।



- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 22.11.19

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/वो-3/2019/402

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चुरू/बीकानेर/जयपुर संभाग।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर/जयपुर/झुंझुनू/सीकर।
- 4- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
- 6- रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-


कार्मिक का विवरण:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	श्री दिनेश कुमार शारीरिक शिक्षक	रा.मा.वि. शिव कॉलोनी, पचपदरा (बाड़मेर)	01.07.1986	अल्मन्टी (कजिक्स्तान) 02.12.19 से 06.12.19 तक (05 दिवस)
2	श्रीमती नैनी शर्मा अध्यापक तृतीय श्रेणी	रा.उ.मा.वि. रेल्वे कुँआ न.03, बाड़मेर	15.10.1967	अबु हलीफा (कुवैत) 25.11.19 से 20.12.19 तक (26 दिवस)
3	श्री देवीलाल झोरड़ वरिष्ठ अध्यापक	रा.उ.मा.वि. महाजन (बीकानेर)	20.05.1991	कुआलालमपुर (मलेशिया) 25.11.19 से 30.11.19 तक (06 दिवस)
4	श्री संजय शर्मा (प्रअ) वरिष्ठ अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. शास्त्री नगर, बाड़मेर	19.07.1962	अबु हलीफा (कुवैत) 25.11.19 से 20.12.19 तक (26 दिवस)
5	श्रीमती सुमन कौशिक अध्यापक तृतीय श्रेणी	रा.महात्मा गॉधी मा.वि. झालावाड़	08.12.1964	दुबई (यू.ए.ई.) 04.12.19 से 08.12.19 तक (05 दिवस)
6	श्रीमती सीमा वधवा अध्यापक तृतीय श्रेणी	राउमावि 8 एनएनए, श्रीगंगानगर	20.06.1971	टोरन्टो (कनाडा) 25.05.2020 से 23.06.2020 तक (30 दिवस)
7	श्रीमती बेअन्त कौर अध्यापक तृतीय श्रेणी	राउमावि मम्मड खेडा, श्रीगंगानगर	13.05.1977	मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) 25.12.19 से 10.01.2020 तक (17 दिवस)

शर्तें:-

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्राधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
 - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।

- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।



 (निथमल डिडेल)
 आई.ए.एस.
 निदेशक,
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर

दिनांक- 22.11.19

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/वो-7/2019/ 69

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा/बीकानेर/जोधपुर संभाग।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, कोटा/बीकानेर/जोधपुर।
- 4- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
- 6- रक्षित पत्रावली


 संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)